न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
444/2022	11.11.2022	16.04.2024

उनवान

1. कस्तुरी देवी पुत्री नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जमना लाल पुत्र नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. मदन लाल पुत्र नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. श्याम लाल पुत्र नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. संतोष देवी पुत्री नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. नन्दू देवी पुत्री नाना उर्फ नगजी जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा — विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश धोबी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: **निर्णय** :–

दिनांक 16.04.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– कमशः आराजी नम्बर 1656, 1657, 1665, 4887 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड चली जा रही है। जिसमें वादीगण के पिता का नाम नाना पिता उदा खटीक कर दिया गया है। जबकि वादीगण का नाम नगजी पिता उदा खटीक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 की फोटोप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र नाना

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उर्फ नगजी राम खटीक पिता दुदा खटीक की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है, मृत्यु प्रमाण पत्र उदा उर्फ दुदा खटीक पुत्र पोखर खटीक की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए वादीगण के पिता का नाम नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा खटीक दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र / वादपत्र के साथ नामान्तकरण संख्या 7909 दिनांक 15.12.2016 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की है। वादी नामान्तकरण में हुई गलती को दुरूस्त कराना चाहता है जबकि वादी को नामान्तकरण संख्या 7909 दिनांक 15.12.2016 की अपील सक्षम न्यायालय में किया जाना था। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में आपती प्रकट की है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम पुर के आराजी नम्बर 1656, 1657, 1665, 4887 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में नाना पिता उदा खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। वादीगण के पिता का नाम नाना पिता उदा खटीक नामान्तकरण संख्या 7909 दिनांक 15.12.2016 के आधार पर रेकार्ड में इन्द्राज किया गया है। वादी नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा दर्ज कराने चाहते है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर वादी का नाम नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा खटीक अंकित किया जाए। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का प्रार्थना पत्र/ वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का अस्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी नम्बरः 1656, 1657, 1665, 4887 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित वादी नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा नाम दुरूस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा नाम दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा